<u>कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)</u>

// परिपत्र //

क्रमांक—क्यू/कोरोना/2020 नरसिंहपुर, दिनांक—16.04.2020

''अत्यावश्क और आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई के समय 'कोविड—19' वैश्विक महामारी को रोकने के उपायों के रूप में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग फेसीलिटी व हेल्प लाइन नंबरों की उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में ''

सन्दर्भ :— मान्नीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वप्रेरणा रिट(सिविल) क. 05/2020 में पारित आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2020 रजिस्ट्री ज्ञापन क. रजिस्ट्रार (आई.टी.) (एस.ए.)/2020/क्यू. दिनांक 04 अप्रैल, 2020, ज्ञापन क. 405/गोपनीय/2020, दिनांक 07 अप्रेल, 2020 एवं ज्ञापन क. रजिस्ट्रार (आई.टी.) (एस.ए.)/2018/440, दिनांक 20 मार्च, 2018 एवं **ज्ञापन कमांक रजिस्ट्रार (आई.टी.) (एस.ए.)/2020 जबलपुर दिनांक 15 अप्रैल, 2020**

——

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के उपाय के रूप में ''सामाजिक दूरी'' बनाये रखते हुये अत्यावश्यक एवं आकस्मिक रूप से उत्पन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों से जुड़े सभी पक्षों की न्यायालय परिसर में ''भौतिक उपस्थिति'' को कम करने के लिए ''वीडियो कांफ्रेंसिंग'' के माध्यम से सुनवाई किये जाने, Vidyo App डाउनलोड किये जाने, अपरिहार्य भौतिक उपस्थिति के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (Personal Protective Equipments) को धारण करने के निर्देशों एवं आकस्मिकता को ध्यान में लाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार सोनी की ई—मेल आईडी mahendrasoni0104@gmail.com एवं E-Filing हेतु जिला न्यायालय, नरसिंहपुर की Email ID dcourtnar-mp@nic.in को पूर्व में प्रसारित किया जा चुका है।

चूँकि लॉकडाउन की अवधि में विस्तार किया गया है, अतएव पूर्व में प्रसारित निर्देशों में से कुछ अपरिहार्य निर्देशों सहित इस मध्य किये गये नवीन उपाय

16.04.2020

Scanned with CamScanner

आपकी जानकारी में पालनार्थ लाये रहे जा हैं–

1– अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई हेतु "वीडियों कांफ्रेंसिंग" (Vidyo App) सहित अन्य आधुनिक तकनीक अपनाते हुये न्यायालय परिसर में अपनी भौतिक उपस्थिति को न्यूनतम करें।

2– प्रत्येक आवेदन/याचिका पर Vidyo App, Whatsapp, Video Call द्वारा संपर्क माध्यम का कमांक/विवरण अंकित करें।

3– मामले से संबंधित पक्षकार जिनके पास वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा का अभाव है/सुविधा तक पहुंच नहीं है, उनके लिये जिला न्यायालय, नरसिंहपुर परिसर स्थित न्यायालय कक्ष कमांक–30 (श्री कमलेश साहू, जे0एम0एफ0सी0, नरसिंहपुर का न्यायालय कक्ष जो गेट नम्बर–2 के निकट है) में एवं गाडरवारा स्थित न्यायालय के फाईलिंग काउंटर/सर्वर रूम के कक्ष में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है।

4– उक्त 'चिन्हित' वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष पर ही 'हेल्प लाईन डेस्क' भी स्थापित की गई है।

5– जिला न्यायालय नरसिंहपुर में 'वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा' पर आपकी सहायता के लिये सिस्टम ऑफीसर श्री सैय्यद सोयब अली मोबाइल नंबर 9179446688 सहित श्री मनोज कहार, सेल अमीन मोबाईल नम्बर– 8319646066 उपलब्ध है। हेल्प डेस्क पर आपकी सहायता के लिये "न्याय मित्र" (amicus curie) के रूप में पैरालीगल वालेंटियर श्री ललित विश्वकर्मा मोबाईल नम्बर–6264019297 उपलब्ध रहेंगे।

6– गाडरवारा स्थित न्यायालय परिसर में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा पर आपकी सहायता के लिये आई0टी0 असिस्टेंट श्री अंकुर दीक्षित मोबाईल नम्बर– 7828397818 एवं नायब नाज़िर श्री मोतीलाल अहिरवार मोबाईल नम्बर–7974214466 उपलब्ध रहेंगे।

7– आपके द्वारा पेश किये जाने वाले आवेदन/याचिका उक्त चिन्हित 'वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा' पर उपलब्ध ट्रे में प्रस्तुत करें। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश

16.05.2020

Scanned with CamScanner

के न्यायालय में पेश किये जाने हेतु आवेदन/याचिका हरी ट्रे एवं मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किये जाने हेतु आवेदन/याचिका नीले रंग की ट्रे में प्रस्तुत करें। वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा से उक्त आवेदन/याचिका संबंधित न्यायालय तक श्री मनोज कहार, सेल अमीन द्वारा पहुँचाये जायेंगे।

8— अपरिहार्य होने पर संबधित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर अथवा वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा पर आपकी सहायता के लिये उपलब्ध स्टॉफ के माध्यम से आपके अनुरोध को संबंधित न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किये जाने पर ही न्यायालय के समक्ष भौतिक उपस्थिति द्वारा एक समय में एक ही मामलों की सुनवाई की जा सकेंगी।

9— भौतिक रूप से न्यायालय को संबोधित करते समय पीठासीन अधिकारी से न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाये रखें। न्यायालय कक्ष में स्टॉफ भी न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाये रखें।

10— कार्यवाही की सूचना वीडियो कांफेसिंग सुविधा एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये संपर्क नम्बर पर उपलब्ध कराई जायेगी।

11— आपका न्यायालय परिसर में प्रवेश केवल गेट नम्बर 2 से थर्मल स्केनिंग एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (फेस मॉस्क/गमछा इत्यादि) के धारण की पुष्टि उपरांत गेट पर उपलब्ध सेनेटाईजर के माध्यम से "स्वच्छता क्लीयरेंस" के उपरांत ही होगा।

12— न्यायालय में ड्यूटीरत् कर्मचारीगण अपने हाथों में ग्लब्ज भी धारण करें।

13— किसी व्यक्ति को जेल में भेजे जाने के आदेश के समय उसके 'मेडीकल परीक्षण' के उपरांत ही जेल में दाखिल किया जाना सुनिश्चित किया जावे। मेडीकल परीक्षण में यदि 'कोराना संदिग्ध' पाया जाकर उसका परीक्षण हेतु नमूना संग्रहित किया जाता है तो नमूना प्रतिवेदन प्राप्त होने तक जेल अधीक्षक उसे अन्य कैदियों से पृथक (आइसोलेट) रखें।

14— अपेक्षित केस डॉयरियों/प्रतिवेदनों की अध्यपेक्षा पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर की Email ID sp_narsinghpu@mppolice.gov.in पर भेजी जायेंगी।

16-4-2020

Scanned with CamScanner

पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर दांडिक मामलों की केस डॉयरियां इलैक्ट्रानिक /पी. डी.एफ. फार्मेट में Email ID dcourtnar-mp@nic.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पालनीय निर्देश ''कोविड–19'' के प्रसार को फैलने से रोकने की दिशा में हैं और उनका पालन करके हमें न्यायालय परिसर को कोरोना वायरस के प्रसार में किसी भी योगदान से रोकना है।

उक्त निर्देशों के पालन में कोई भी असुविधा ध्यान में लाये जाने पर उसे दूर किया जायेगा।

16.04.2020

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर.

क्रमांक–क्यू / कोरोना / 2020 नरसिंहपुर, दिनांक–16.04.2020

01– माननीय रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर ।

03– जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर

04– पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर। की ओर प्रेषित कि न्यायालयीन कर्मचारी रिमाण्ड ड्यूटी एवं अर्जेण्ट कार्य में उपस्थित होने पर उन्हें अपने निवास स्थान से न्यायालय आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस हेतु उन्हें न्यायालय द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र मान्य किया जावे।

05– समस्त न्यायाधीशगण, नरसिंहपुर / गाडरवारा की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उचित कियान्वयन सुनिश्चित करें और इस हेतु 01 मार्च, 2019 को ऑफीसियल राजपत्र में प्रकाशित वी. सी.गाइड लाइन्स / रूल्स का यथासंभव पालन करें।

06– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे उक्त पैरालीगल वालेन्टियर की हेल्प डेस्क पर उपलब्धता सुनिश्चित करें।

07– श्री अजय कुमार सिंह, रजिस्ट्रार जिला न्यायालय एवं न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी, नरसिंहपुर को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि वे श्री मनीष सिंह ठाकुर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर एवं नोडल आफीसर मोबाइल नंबर 8770760071 से समन्वय स्थापित कर वीडियो कान्फेसिंग के प्रभावी कियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करावें।

08– अध्यक्ष / सचिव, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर / गाडरवारा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि वे कृपया समस्त अधिवक्तागण को उक्त परिपत्र से अवगत करावे।

09– जेल अधीक्षक नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।

10– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय, नरसिंहपुर ।

Scanned with CamScanner

11– लोक अभियोजक, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि वे स्वयं एवं जिन ए.जी.पी. के पास Vidyo App डाउनलोड है, की क्रमबद्ध तरीके से एक–एक दिन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करें, संबंधित अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर ही भौतिक रूप से उपस्थित रहें।

12– जिला अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि वे स्वयं एवं जिन ए.डी.पी.ओ. के पास Vidyo App डाउनलोड है, की क्रमबद्ध तरीके से एक–एक दिन वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करे। संबंधित अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर भौतिक रूप से उपस्थित रहें।

13– श्री ललित विश्वकर्मा, पैरालीगल वालेन्टियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14– श्री सैय्यद शोयब अली, सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर/श्री अंकुर दीक्षित, सिस्टम असिस्टेंट, गाडरवारा उक्त जानकारी सभी न्यायाधीशगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड करें एवं उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की बेवसाइट पर उक्त हेल्पलाइन नंबरों का प्रकाशन सुनिश्चित करें ताकि वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा सुनवाई की गुणवत्ता अथवा श्रवणता संबंधी किसी शिकायत को कार्यवाही के दौरान अथवा उसके तत्काल पश्चात् ही संसूचित किया जा सके जिसके उपरांत ऐसी किसी शिकायत को ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

15– अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर
16.04.2020

Scanned with CamScanner